

New

776

Office of the Principal
Institute of Hotel Management,
Catering Technology & A.N.
Alto-Porvorim, Goa 403521
Ref.: IHM/2021-22/ICC/2146
Dated : 14.12.2021

ORDER

Consequent upon the Board Resolution No. 69.8, the Board has re-constituted the 'Internal Complaints Committee' under the CCS(Conduct) Rules, 1964 for having an effective complaints redressal mechanism as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

The Report of the 'Internal Complaints Committee' shall be deemed to be an inquiry report under the CCS (CCA) Rules, 1965. The 'Internal Complaints Committee' shall make an annual report to the Organization and action taken by them.

The 'Internal Complaints Committee' of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition(Goa) Society shall comprise of the following members and tenure of the Committee will be 03(Three) years from the date of the issue of this Order :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Smt. Liza Norton Dias, HOD-1 | : Chairperson |
| 2. Shri. K. M. Dange, HOD-2 | : Member |
| 3. Shri. Dion Fernandes, Sr. Lecturer | : Member |
| 4. Smt. Maria F. Da Cunha, Administrative-cum-Accounts Officer | : Member |
| 5. Shri. Govind Mhamal, UDC | : Member |
| 6. Ms. Prachi Khandeparkar, NGO | : Member |
| 7. Adv. Vahida Yelgar, Legal Expert | : Member |

Quorum for the 'Internal Complaints Committee' : Minimum 04(Four) Nos. of Members to be present for an enquiry to be held.

The 'Internal Complaints Committee' will conduct the inquiry in the case of allegation of Sexual Harassment as per the Office Memorandum No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16th July, 2015 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, Government of India.

The Inquiry Report will be submitted to the Disciplinary Authority as stipulated in the Office Memorandum No. 6(2)/2011-HRD dated 28.04.2017 issued by the Ministry of Tourism (HRD Division), Government of India, New Delhi.

(DONNA D'SOUZA)

PRINCIPAL/SECRETARY

For and on behalf of Institute of Hotel Management,
Catering Technology & Applied Nutrition - Goa.

To :

1. Smt. Liza Norton Dias, HOD-1
2. Shri. K. M. Dange, HOD-2
3. Shri. Dion Fernandes, Sr. Lecturer
4. Smt. Maria F. Da Cunha, Administrative-cum-Accounts Officer
5. Shri. Govind Mhamal, UDC
6. Ms. Prachi Khandeparkar, NGO
7. Adv. Vahida Yelgar, Legal Expert

Copy forwarded to :

1. A.O.
2. O.S.
3. ICC File
4. Guard File

प्रधानाचार्य का कार्यालय
होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त
पोषण विज्ञान संस्थान
आल्ट-पर्वरी, गोवा 403521
संदर्भ: आईएचएम/2021-22/आ.शि.स. /2146
दिनांक : 14.12.2021

आदेश

बोर्ड के संकल्प सं. 69.8 के परिणाम स्वरूप बोर्ड ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रभावी शिकायत निवारण क्रियाविधि के लिए सीसीएस(आचरण) नियम, 1964 के अधीन 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया जाता है।

'आंतरिक शिकायत समिति' की रिपोर्ट को सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के तहत जांच रिपोर्ट माना जाएगा। 'आंतरिक शिकायत समिति' संगठन को उनके द्वारा की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट देगी।

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) सोसाइटी की 'आंतरिक शिकायत समिति' में निम्नवत सदस्य का समावेश होगा और उनका कार्यकाल इस आदेश के जारी होने के तिथि से 3 (तीन) वर्षों तक का होगा :

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्रीमती लिझा नॉर्टन डायस, विभागाध्यक्ष-1 | : अध्यक्ष |
| 2. श्री के. एम. डांगे, विभागाध्यक्ष-2 | : सदस्य |
| 3. श्री. डिओन फर्नांडीस, वरिष्ठ व्याख्याता | : सदस्य |
| 4. श्रीमती मारिया एफ़ दा कुन्हा, प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी | : सदस्य |
| 5. श्री गोविंद म्हामल, प्रवर श्रेणी लिपिक | : सदस्य |
| 6. सुश्री प्राची खांडेपारकर, एनजीओ | : सदस्य |
| 7. एडवोकेट वहीदा येलगर, कानून विशेषज्ञ | : सदस्य |

'आंतरिक शिकायत समिति' के लिए कोरम : जांच के समय कम से कम 04(चार) सदस्यों को उपस्थित रहना होगा।

'आंतरिक शिकायत समिति' यौन उत्पीड़न के आरोप में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 16 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2014-ईएसटीटी(ए-III) के अनुसार जांच करेगी।

जांच रिपोर्ट को पर्यटन मंत्रालय(मानव संसाधन विकास प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 28.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6(2)/2011-एचआरडी में निर्धारित अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(डोना डि'सूझा)
प्रधानाचार्य/सचिव

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण
विज्ञान संस्थान(गोवा) सोसाइटी के लिए और की ओर से

प्रति :

1. श्रीमती लिझा नॉर्टन डायस, विभागाध्यक्ष-1
2. श्री के. एम. डांगे, विभागाध्यक्ष-2
3. श्री. डिओन फर्नांडीस, वरिष्ठ व्याख्याता
4. श्रीमती मारिया एफ़ दा कुन्हा, प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी
5. श्री गोविंद म्हामल, प्रवर श्रेणी लिपिक
6. सुश्री प्राची खांडेपारकर, एनजीओ
7. एडवोकेट वहीदा येलगर, कानून विशेषज्ञ

प्रतिलिपि :

1. प्रशासनिक अधिकारी
2. कार्यालय अधीक्षक
3. आईसीसी फ़ाइल
4. गार्ड फ़ाइल